भारतसरकार Government of India
रेलमंत्रालय Ministry of Railways
रेलवेबोर्ड(Railway Board)

RBA No.08/2023
GST Circular No.01/2023

No. 2017/AC-II/1/6/ GST Main/Vol.IV New Delhi, dated 22.03.2023

General Managers,
All Zonal Railway/Production Units

Sub: Action points for GST compliances- 31st March 2023.
Ref:- 1. RBA No. 18/ 2022, GST circular No. 04/2022.
2. RBA No. 19/2022 , GST Circular No. 05/2022.

As you are aware, certain compliances are to be undertaken in year end to ensure compliance with the provisions of GST Act and rules made thereunder. The instant circular highlights the requisite course of actions required to be undertaken to ensure adherence to GST laws:

1. Credit attributable to exempted supplies- Finalization of ITC pertaining to inputs and input services reversed on monthly basis (Rule 42 of CGST Rules, 2017)

a. ITC attributable to supply of exempted goods or services, which has been reversed on a monthly basis during FY 2022-23 may be finalised l having correct flags latest by 31st March 2023.
b. If the amount reversed on monthly basis is in excess of the finally calculated amount, the excess reversed credit may be determined by 31st March 2023 to ensure availment in FORM GSTR-3B for the tax period of March 2023.
c. However, if the amount reversed on a monthly basis is short of the amount finally calculated, the difference in such amount may be reversed in FORM GSTR-3B to be filed for the tax period of March 2023.
d. It is pertinent to note that any reversal done post filing of FORM GSTR-3B for tax period of March 2023 shall attract interest @18% p.a. to be computed with effect from 1st April 2023.

2.Serial Number of documents issued

In line with the provisions of GST laws such as Rule 46,Rule 49, Rule 53 of CGST Rules, 2017, every document (i.e. invoice, debit note, credit note, bill of supply etc.) issued by a registered person shall contain consecutive serial numbers which shall *inter alia* be unique for that financial year.
Thus, beginning 1st April 2023, documents for outward supplies issued by Zonal Railways and Production Units shall commence with new serial number beginning with '1'.

3.Vendor Compliance Management

a. The information in regard to the invoices reflected in GSTR-2B for the FY 2022-23 but not passed in IPAS by Railways as on date may be obtained from CRIS. In case, it is found that the railways have not received any invoice from the vendor even when the invoice was due then such vendor may be asked to submit the copies of such invoice so that the ITC of said invoices can be availed in the month of March 2023.
b. Further, Railways may also identify the invoices passed but ITC of which has not been availed due to any mismatch or wrong capturing of invoice at the end of railways etc. It is suggested that such mismatches or wrong capturing may be removed in the GSTR-1 & 3B of March 2023 in consultation with their GST consultants.

4. Review of profile details on GST portal of GSTIN:

Railways, in consultation with GST consultants, may review the profile details (such as Email Id, phone No., authorized signatory, additional place of business (addresses) etc.)on the GST portal and if be needed the same shall be updated.

It is imperative to note that aforementioned compliances/actions are in addition to periodical compliances (such as filing of FORM GSTR-1, FORM GSTR-3B etc.)for the tax period of March 2023.

(Sanjeev Sharma)
OSD/Accounts
Railway Board

Copy to:

1. PFAs All Zonal Railways/Production Units
2. All EDs, ED level empowered Committee in Railway Board
3. All Directors of GST Cell, Railway Board
4. MD, CRIS, Chanakyapuri New Delhi
5. Director/Finance, Director/PS, Director/Operations, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi
6. GM/Finance and GSTM, GM/FOIS, GM/PRS, GM/EPS, GM/UTS, GM/Parcel, CRIS, NDLS

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड/Railway Board

आरबीए सं. 08/2023
जीएसटी परिपत्र सं. 01/2023

सं. 2017/एसी-II/1/6/जीएसटी/मेन/वॉल्.III

नई दिल्ली, दिनांक 22.03.2023

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय : जीएसटी अनुपालन हेतु कार्य बिंदु - 31 मार्च 2023.
संदर्भ : 1. आरबीए सं. 18/2020, जीएसटी परिपत्र सं. 04/2022
2. आरबीए सं. 19/2022, जीएसटी परिपत्र सं. 05/2022

जैसा आपको विदित है, जीएसटी अधिनियम और नियमों के अधीन किए गए प्रावधानों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु वर्ष के अंत में कुछ अनुपालन किए जाने हैं। तत्काल परिपत्र में जीएसटी कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई पर प्रकाश डाला गया है :

1. छूट प्राप्त आपूर्ति के कारण जमा - मासिक आधार पर वापस किए गए इनपुट और इनपुट सेवाओं से संबंधित आईटीसी को अंतिम रूप देना (सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 42)

क) छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के कारण आईटीसी, जिसे वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मासिक आधार पर वापस कर दिया गया है, को 31 मार्च, 2023 तक अंतिम रूप दिया जा सकता है।

ख) यदि मासिक आधार पर वापस की गई राशि अंतिम रूप से गणना की गई राशि से अधिक है, तो मार्च 2023 की कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में लाभ सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त वापस की गई जमा राशि को 31 मार्च 2023 तक निर्धारित किया जा सकता है।

ग) बहरहाल, यदि मासिक आधार पर वापस की गई राशि अंतिम रूप से गणना की गई राशि से कम है, तो ऐसी राशि के अंतर को मार्च 2023 की कर अवधि के लिए जमा किए जाने वाले फॉर्म जीएसटीआर-3बी में वापस किया जा सकता है।

घ) यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि मार्च 2023 की कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी दाखिल करने के बाद किए गए किसी भी वापसी पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा, जिसकी गणना 1 अप्रैल 2023 से की जाएगी।

2. जारी दस्तावेजों की क्रम संख्या

जीएसटी नियमों यथा सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 46, नियम 49, नियम 53 के प्रावधानों की तर्ज पर, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी प्रत्येक दस्तावेज (अर्थात् बीजक, डेबिट नोट,

क्रेडिट नोट, आपूर्ति बीजक इत्यादि) में निरन्तर क्रम संख्या होगी जो अन्य बातों के साथ-साथ उस वित्त वर्ष के लिए यूनीक होगी।

इस प्रकार, 1 अप्रैल 2023 की शुरुआत से, क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों द्वारा जावक आपूर्तियों के लिए दस्तावेज '1' से शुरु होने वाले नए क्रम संख्या से शुरु होंगे।

3. विक्रेता अनुपालन प्रबंधन

क) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीएसटीआर-2बी में दर्शाए गए बीजकों के संबंध में सूचना, परंतु आज तक यह रेलवे द्वारा आईपीएएस में पास नहीं की गई है, क्रिस द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यदि, यह पाया जाता है कि बीजक देय होने पर भी रेलवे को विक्रेता से कोई बीजक प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे विक्रेता को ऐसे बीजकों की प्रतियों को जमा करने के लिए कहा जा सकता है ताकि उक्त बीजकों के आईटीसी का लाभ मार्च 2023 माह में उठाया जा सके।

ख) इसके अलावा, रेलवे पास किए गए बीजकों की पहचान भी कर सकता है लेकिन रेलवे की ओर से किसी भी बेमेल या बीजक की गलत कैप्चरिंग के कारण आईटीसी का लाभ नहीं उठाया गया है। यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसे बेमेल या गलत कैप्चरिंग को अपने जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से मार्च 2023 के जीएसटीआर-1 एवं 3बी से हटाया जा सकता है।

4. जीएसटीआईएन के जीएसटी पोर्टल पर प्रोफाइल विवरण की समीक्षा

रेलवे, जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से, जीएसटी पोर्टल पर प्रोफाइल विवरण (जैसे ई-मेल आईडी, फोन नं., प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, व्यवसाय का अतिरिक्त स्थान(पते) इत्यादि) की समीक्षा कर सकता है और यदि आवश्यकता हुई तो उसे अद्यतन किया जाएगा।

यह ध्यान देना अनिवार्य है कि उपरोक्त अनुपालन/कार्रवाइयां मार्च 2023 की कर अवधि के लिए आवधिक अनुपालनों(जैसे फॉर्म जीएसटीआर-1, फॉर्म जीएसटीआर-3बी इत्यादि जमा करना) के अतिरिक्त हैं।

(संजीव शर्मा)
विशेष कार्य अधिकारी/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें/ उत्पादन इकाइयां।
2. सभी कार्यपालक निदेशक, कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति, रेलवे बोर्ड।
3. जीएसटी सेल के सभी निदेशक, रेलवे बोर्ड।
4. प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. निदेशक/वित्त, निदेशक/पीएस, निदेशक/संचालन, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
6. महाप्रबंधक/वित्त और जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एफओआईएस, महाप्रबंधक/पीआरएस, महाप्रबंधक/ईपीएस, महाप्रबंधक/यूटीएस, महाप्रबंधक/पार्सल, क्रिस, नई दिल्ली।